NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh
Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 38/NCRES/71/75/26

Date : 2.2.2026

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ट्रैक मशीनो पर 21/7 का रोस्टर लागू किया जाना।
सन्दर्भः– (1) NCRES PNM मद संख्या 7/2016
(2) NCRES का पत्र सं0 193/NCRES/71/75/76/25 दिनांक 24.9.2025

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के ट्रैकमशीनो पर कार्यरत स्टाफ अपने परिवार से बहुत दूर (200 KM से 600 KM) रहकर ड्यटी करता है, इसीलिये NCRES ने HQ-PNM बैठक के प्रारम्भिक भाषण के समय महाप्रबंधक महोदय के समक्ष यह मुद्दा उठाया और मद सं0 7/2016 पर चर्चा के समय ट्रैकमशीन पर कार्यरत स्टाफ की परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया तब निर्णय हुआ कि ट्रैकमशीनो पर 21/7 का रास्टर लागू किया जायेगा और इसी के अनुसार ट्रैकमशीनो पर कार्यरत कर्मचारियों को 21 दिन ड्यूटी करने के बाद 7 दिन का रेस्ट मिलने लगा।

वर्तमान में कुल 113 मशीने कार्यरत है जिसमें केवल 11 मशीनो पर 21/7 का रास्टर लागू है, बाकी मशीनो पर 21/7 का रास्टर लागू न होने के कारण कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, क्यों कि कर्मचारी परिवार से बहुत दूर रहने के कारण एक दिन के साप्ताहिक रेस्ट में अपने परिवार से मिलने भी नही जा पाता।

अतः अनुरोध है कि कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुये NCRES के मद सं0 7/2016 पर हुये निर्णय के अनुसार सभी ट्रैकमशीनो पर एक समान 21/7 का रास्टर लागू करने के लिये उचित आदेश करने का कष्ट करें ताकि कर्मचारियों का आक्रोश खत्म हो सके। यह भी अनुरोध है कि की गई कार्यवाही से NCRES को अवगत कराने के लिये उचित निर्देश दिया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य अभियन्ता, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज